न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/01/2019	2019/00150	01.10.2019	06.06.2022

–::उनवान::–

1. पंचायत समिति बहरोड़ जिला अलवर जरिये विकास अधिकारी

–निगरानीकार

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र छाजूराम मिस्त्री जाति खाती निवासी ग्राम मुडियाखेड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0
2. ग्राम पंचायत हमींदपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 जरिये सचि0/सरपंच।

–अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत हमींदपुर का निर्णय दिनांक 23.01.1986 पट्टा संकल्प सं0 52 अन्तर्गत धारा 97 (1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994

उपस्थितः–

01. श्री अशोक शर्मा **–वकील निगरानीकार**

––:: **निर्णय** ::––

निगरानीकार ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत हमींदपुर के आदेश दिनांक 23.01.1986 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मुडियाखेड़ा तहसील बहरोड़ की आराजी ख0 नं0 642 व 643 आबादी से लगती हुई चारागाह भूमि है। जिसकी किस्म आज तक परिवर्तन नहीं हुई है। ना ही भूमि को जिलाधीश महोदय द्वारा आबादी हेतु आवंटित किया गया है, इसके बावजूद भी बिना किसी विधिक अधिकार के विवादित पट्टा आदेश बतौर शुल्क रू0 2255/– जमा करा 750 वर्गगज का पट्टा गैर निगरानीकार सं0 1 को जारी कर दिया गया। जो पंचायती राज अधिनियम की पूर्णतः अनदेखी कर जारी किया गया है। पंचायत को निर्णय लेने से पूर्व आंवटित/नीलामी की जाने वाली भूमि का मौका निरीक्षण कर उज्रदारी जारी कर भूमि की किस्म की जांच कर भूमि को विक्रय करना चाहिए था। पं0रा0अधि0 के नियम 140 के तहत पंचायत को केवल नजूल भूमि के विक्रय का अधिकार है। अनिगरानीकार द्वारा द्वारा विक्रय हेतु ना तो कोई पत्रावली तैयार की गयी और ना ही कोई प्रस्ताव पंचायत कोरम द्वारा लिया गया। बल्कि भूमि विक्रय विलेख में संकल्प सं0 52 दिनांक 23.01.1986 दर्ज है नीचे हस्ताक्षरों के साथ संकल्प सं0 1 दिनांक 30.07.1986 दर्ज किया है। तहसीलदार बहरोड़ द्वारा विक्रय की गयी चारागाह भूमि के कब्जे को अतिक्रमण करार दिया गया है। अतः निगरानी निगरानीकार पेश कर निवेदन है कि ग्राम पचांयत हमींदपुर द्वारा जारी विक्रय विलेख सं0 52 दिनांक 23.01.1986 को अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं निगरानीकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में निगरानीकार द्वारा निगरानी में पेश तथ्यों व बहस के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत हमींदपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख सं0 52 दिनांक 23.01.1986 नियम विरूद्ध चारागाह भूमि का विक्रय पट्टा जारी किया है ना ही कोई प्रस्ताव पंचायत हमींदपुर कोरम द्वारा लिया गया। जो

जिला कलक्टर, अलवर

गलत तरीके से जारी किया गया है। जो न्यायोचित नही है। तहसीलदार बहरोड़ द्वारा भी विक्रय की गयी चारागाह भूमि के कब्जे को अतिक्रमण करार दिया गया है। निगरानीकार की निगरानी प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टा विलेख सं0 52 दिनांक 23.01.1986 नियम विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय रिकॉर्ड भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर,
(राजस्थान)

जिला कलक्टर अलवर